कार्यालय कलेक्टर, जिला – इन्दौर (म.प्र)

" Expression of interest (EOI)"

इन्दौर नगर निगम एवं नगर पंचायत राऊ तथा महू क्षेत्रांतर्गत 110 शासकीय शालाओं में दर्ज लगभग 14000 विधार्थियों को मध्यान्ह भोजन का वितरण एकीकृत मशीनीकृत किचिनशेड के माध्यम से कराये जाने हेतु पात्र पंजीकृत अशासकीय संस्था/स्वसहायता समूह/समितियों से **"एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफर"** दिनांक 05.12.2017 को सायं 03.00 बजें तक जिला पंचायत कार्यालय, इन्दौर म.प्र. में आमंत्रित किये जाते है जो उसी दिनांक को सायं 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारो के समक्ष खोले जावेगे।

"एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफर" से संबंधित शर्तें / योग्यता , आवेदन पत्र / आवश्यक शुल्क की जानकारी वेबसाईड www.indore.nic.in तथा जिला पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर देखी / पडी जा सकती है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत,इन्दौर

C:\Users\ceo\Desktop\MDM EOI form & condison 31-10-17.doc

कार्यालय कलेक्टर, जिला – इन्दौर (म.प्र)

" Expression of interest (EOI)"

इन्दौर नगर निगम एवं नगर पंचायत राऊ तथा महू क्षेत्रांतर्गत शालाओं में मध्यान्ह भोजन का वितरण मशीनीक्रत किचिनशेड के माध्यम से कराये जाने हेतु स्वयंसेवी संस्था/स्वसहायता समूह/समितियों के चयन हेतु सूचना ।

नगर निगम इन्दौर एवं नगर पंचायत राऊ तथा महू क्षेत्रांतर्गत संचालित कुल 110 शासकीय प्रा. एवं मा.वि. शालाओं में दर्ज लगभग 14000 विद्यार्थियों को एकीकृत किचनशेड (मशीनीकृत) के माध्यम से मध्यान्ह भोजन प्रदाय करने के लिए **"एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफर"** आमंत्रित कर संस्था का चयन किया जाना है।

मशीनीकृत "केन्द्रीयकृत किचिनशेड " के संचालन हेतु नो प्राफिट नो लॉस आधार पर एवं शासन निर्देशानुसार कार्य करने हेतु अनुभवशील, निर्धारित योग्यता धारी पंजीकृत संस्थाओं/समूह/समितियों से आवेदन पत्र **दिनांक 05.12.2017** को सायं 03.00 बजें तक जिला पंचायत कार्यालय, इन्दौर में आमंत्रित किये जाते है जो उसी दिनांक को सायं 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारो के समक्ष खोले जावेगे। "एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट" से संबंधित आवेदन पत्र,संस्थाओं की योग्यता/पात्रता/ अनुभव/कार्य संचालन संबंधी शर्ते वेबसाइट www.indore.nic.in एवं जिला पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर देखी/पढ़ी जा सकती है तथा जिला पंचायत कार्यालय मध्यान्ह भोजन प्रकोष्ठ से निर्धारित आवेदन शुल्क 10000/– रूपये (अक्षरी राशि रूपये दस हजार) जमा कर प्राप्त कर सकते है। निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) के रूप में राशि रू. 5.00 लाख का डी.डी. / बैंकर्स चैक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इन्दौर के नाम से अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। दी गई वेवसाइड से किन्ही कारणो से आवेदन पत्र,शर्ते आदि डाउनलोड नही होने पर तथा डाक के माध्यम से आवेदन पत्र निर्धारित तिथि एवं समय पर प्राप्त नही होने की दशा में यह कार्यालय जिम्मेदार नही रहेगा। आवेदन करने के पूर्व संस्था को शर्तो का सूक्ष्मता से अवलोकन कर वांछित दस्तावेज संलग्न करना होगा। EOI के दौरान तथा अनुबंध के उपरांत शासन द्वारा जारी किये जाने वाले निर्देश आवेदनकर्ता पर बंधनकारी होगे। आवेदन के परीक्षण के दौरान अन्य अभिलेखों की आवश्यकता उत्पन्न होने पर संस्था को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत,इन्दौर
जिला – इन्दौर,म.प्र

कार्यालय कलेक्टर, जिला – इन्दौर (म.प्र)

इन्दौर नगर निगम एवं नगर पंचायत राउ तथा महु क्षेत्रान्तर्गत शालाओं में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालन हेतु अशासकीय स्वयं सेवी संस्था/ समितियों /समूहो के चयन हेतु

संस्था को नगर पंचायत राउ, महु एवं इन्दौर शहरी की 110 शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं के लगभग 14 हजार विद्यार्थियों के लिये मध्यान्ह भोजन हेतु शासन द्वारा निर्धारित दर पर ई.ओ.आई आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवश्यकतानुसार शालाओं एवं विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि/कमी हो सकती है।

एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट "(EOI)" हेतु पात्रता एवं अनुबंध की शर्ते –

1. ऐसी स्वयं सेवी/अशासकीय संस्थाऐ जो फर्म्स एवं सोसायटी/कॉपरेटिव सोसायटी /ट्रस्ट/कम्पनी के रूप में शासकीय नियमों के अनुसार पंजीकृत हो वे ही आवेदन कर सकेगें ।
2. पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) मॉडल के तहत आने वाली ख्याति प्राप्त संस्थाएं जो इस कार्य में रूचि रखती हो, वे आवेदन कर सकते है।
3. बी0ई0सी0/एस0एम0डी0सी0/नगर पालिका/नेहरू युवा केन्द्र से मान्यता प्राप्त यूथ क्लब एवं स्वयं सेवी संस्था आवेदन कर सकते है।
4. ऐसी स्वयं सेवी/अशासकीय संस्थायें जिनका मूल उद्देश्य समाज सेवा है और स्वेच्छा से कार्यक्रम के क्रियान्वयन से जुड़ना चाहते है आवेदन कर सकते है।
5. ऐसी स्वयं सेवी/अशासकीय संस्थायें जिनके पास मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के स्वरूप व आवश्यकता के अनुसार इसके सुचारू क्रियान्वयन व नियोजन हेतु आवश्यक आधारभूत संस्थागत व्यवस्था तथा अधोसंरचना सुविधा उपलब्ध हो आवेदन कर सकते है।
6. आवेदन प्रस्तुत कर्ता संस्था का 02 से अधिक राज्यो में अर्थात कम से कम 03 राज्यो में कार्य करने का अनुभव (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें) अनिवार्य होगा। ।
7. ऐसी स्वयंसेवी/अशासकीय संस्थायें जिन्हें समाज सेवा के क्षेत्र,विशेषकर ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त हैं और समुचित प्रतिष्ठा रखती हैं ,आवेदन कर सकते है (संस्था द्वारा संपादित कार्यो का आकलन उसकी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर किया जावेगा)।
8. ऐसी स्वयं सेवी/अशासकीय संस्थायें जिनकी कार्य क्षमता, कार्य प्रणाली तथा सौंपे गये कार्यो के परिणाम कभी भी संदेहास्पद और विवादित न रहे हों। किसी भी राज्य , जिले , न्यायालय , अथवा शासकीय संस्था द्वारा ब्लेक लिस्टेड ना किया गया हो ,का स्व–प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. संस्थाओं का चयन शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार मेरिट के आधार पर किया जावेंगा।(निर्धारित मापदण्ड संलग्न)
10. संस्था को मध्यान्ह भोजन कार्यकम के संचालन हेतु साप्ताहिक मीनू का पूर्ण ज्ञान/जानकारी प्राप्त होना अनिवार्य है।
11. संस्था की वित्तीय स्थिति इस प्रकार होना आवश्यक है, जिससे वह आवश्यकता पडने पर स्वयं के सोर्स से 02 माह तक निर्धारित मेन्यु अनुसार मध्यान्ह भोजन वितरण का सफल संचालन कर सकें।
12. स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा अपने प्रस्ताव में व्यवस्थापक/गवर्निंग बॉडी की क्षमता एवं कार्यो का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
13. स्वयं सेवी संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में संस्था की स्थापना, व्यवस्था में कार्य करने वाले सभी कार्यालयों/विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम एवं उनकी भूमिका व उत्तरदायित्वों का भी स्पष्ट उल्लेख किया जावें।
14. संस्था द्वारा तैयार भोजन के पैकेजिंग के लिए प्रमाणित मशीने तथा सुरक्षित परिवहन हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो तथा फूड क्वालिटी चेक करने के लिए विशेषज्ञ कर्मचारी/आवश्यक संसाधन उपलब्ध होना आवश्यक है।
15. संस्था द्वारा प्रस्तावित वित्तीय वर्ष 2017–18 के पूर्व पॉच वित्तीय वर्ष (2012–13 से 2016–17) की सत्यापित ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। आडिट रिर्पाट अनुसार संस्था का एक वर्ष में न्यूनतम टर्नओवर 50 लाख से कम नही होना चाहिये।

16. संस्था को कम से कम 10,000 व्यक्तियों का प्रतिदिन भोजन पकाने एवं वितरण करने का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र (किसी संस्थान का) प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण–पत्र निजी संस्था का होने पर रजिस्ट्रार फर्म सोसायटी/कलेक्टर के द्वारा तथा शासकीय संस्था होने पर संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा जारी किया गया हो। आवश्यकता होने पर अनुभव प्रमाण–पत्र का सत्यापन सक्षम अधिकारी के माध्यम से कराया जा सकता है। सत्यापन में होने वाला व्यय संस्था को वहन करना होगा।
17. निष्पादित अनुबंध में विद्यार्थियों को वितरित किये जा रहे भोजन की गुणवता एवं मात्रा की जाँच के लिये भोजन पकाये जाने वाले स्थान पर भोजन को डिब्बों में पैकिंग करने के लिये सुपरवाईजरी स्टाफ की व्यवस्था संस्था को करना होगी जो विद्यार्थियों को प्रदाय किये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता प्रमाणित करेगें। पका हुआ भोजन एवं भोजन सामग्री का निरीक्षण जिला स्तर से जन प्रतिनिधियों तथा शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा समय–समय पर किया जावेगा। संस्था द्वारा प्रदाय मध्यान्ह भोजन में किसी भी तरह की लापरवाही ,उदासीनता के कारण दूषित भोजन,मानको में कमी,भोजन समय पर नही पहुचने या पर्याप्त मात्रा में नही देने,सुरक्षा मानको का पालन नही करने से अप्रिय स्थिति निर्मित होने पर तथा किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पायी जाने पर प्रमुख सचिव म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. 16306 दिनांक 17.11.2011 एवं पत्र क्र. 8747 दिनांक 26.07.16 अनुसार राशि का कटौत्रा अथवा संस्था को एक माह का नोटिस दिया जाकर कार्य से पृथक करने एवं काली सुची मे डालने का अधिकार जिला प्रशासन को रहेगा।
18. संस्था को आवेदन पत्र के साथ निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) के रूप में राशि रू. 5.00 लाख का डी.डी. / बैंकर्स चैक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इन्दौर के नाम से अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। अस्वीकृति की दशा में आवश्यक प्रक्रिया उपरांत राशि लौटाई जा सकेगी ।
19. संस्थाओं के चयन के समय स्थानीय स्तर पर पूर्व से ईकाई स्थापित होने की बाध्यता नही रहेगी किन्तु इस बिन्दु की पात्रता तब होगी जब संबंधित फर्म अन्य फर्मो की तुलना में अंक तालिका में सर्वाधिक अंक प्राप्त करेगी। संबंधित संस्था (अंतिम चयनित संस्था) को अधिकतम 02 माह की समयावधि में पूर्ण अद्योसंरचना व आवश्यक मशीनरी सहित केन्द्रीयकृत किचनशेड स्थापित करना होगा ।
20. चयनित संस्था को शालाओं में छात्र छात्राओं की वास्तविक उपस्थिति के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित राशि प्राथमिक शाला के लिये रू 4.16 एवं 100 ग्राम खाद्यान्न प्रति छात्र प्रति दिवस तथा माध्यमिक शालाओ के लियें रू 6.18 एवं 150 ग्राम खाद्यान्न प्रति छात्र प्रति दिवस का ही भुगतान किया जावेगा। संस्था को प्राथमिक शाला में दर्ज लगभग 8036 छात्र एवं माध्यमिक शाला में दर्ज लगभग 5252 छात्रों को शाला में उपस्थिति के आधार पर राशि आवंटित की जावेगी। प्रा.शालाओं के बच्चों को 100 ग्राम खाद्यान्न का भोजन तथा मा.वि. के बच्चों को 150 ग्राम खाद्यान्न का भोजन प्रदाय करना होगा । चयननित संस्था को इस हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जावेगा।
21. प्राथमिक शाला के 8036 विद्यार्थीयों एवं माध्यमिक शाला के 5252 विद्यार्थीयों कुल 13288 की वास्तविक उपस्थिति के मान से क्रमशः राशि रूपये 4.16 एवं 6.18 प्रति छात्र, प्रति दिवस की दर से माह के अधिकतम 24 कार्य दिवसों हेतु अधिकतम राशि रूपये 12.65 लाख अनुमानित प्रतिमाह देय होगी जो कि छात्रों की उपस्थिति के आधार पर कम या ज्यादा हो सकती है । निर्धारित राशि में समस्त प्रकार के व्यय सम्मिलित रहेगें प्रथक से कोई राशि देय नही होगी। चयनित संस्था द्वारा राष्ट्रीय पर्व पर विशेष भोज प्रदाय करना होगा किन्तु इस हेतु किसी प्रकार की अतिरिक्त शशि का भुगतान नही किया जावेगा। शासन निर्देशानुसार करों का कटोत्रा किया जावेगा।
22. शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का चयनित संस्था को पालन करना होगा तथा समय समय पर उदभुत होने वाले घटकों/अवयवों/बिन्दुओं/निर्देशों का पालन करना होगा।
23. समस्त खाद्य सामग्री मानक गुणवत्ता की उपयोग करना होगी।
24. संस्था को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इन्दौर, आयुक्त नगर पालिका निगम के साथ त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादित करना होगा।
25. संस्था द्वारा प्रतिदिन प्रदाय किये जाने वाले भोजन का सेम्पल 24 घंटे हेतु किचिनशेड में नियमित रूप से संधारित करना होगा।
26. आवेदक आवेदन पत्र जिला पंचायत इन्दौर से कार्यालयीन समय में/वेबसाईड **www.indore.nic.in** से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकतें है।आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क राशि रू 10,000/– का डीडी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इन्दौर के नाम का जमा करना होगा। आवेदक आवेदन पत्र जिला पंचायत इन्दौर द्वारा निर्धारित आवेदन में ही प्रस्तुत करेंगें। अन्य आवेदन पत्र मान्य नही होंगें। संस्था आवेदन पत्र के साथ निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) के रूप में राशि

रू. 5.00 लाख का डी.डी./बैंकर्स चैक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इन्दौर के नाम से अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

27. शासन निर्देशानुसार गठित चयन समिति के द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं दक्षताओं के आंकलन उपरांत ही अंतिम रूप से संस्था का चयन किया जावेगा।आवेदन पत्र स्वीकृति/अस्वीकृति करने संबंधी अंतिम निर्णय कलेक्टर जिला इन्दौर का होगा। चयनित संस्था का अनुबंध प्रथम बार में तीन वर्ष के लिये होगा।

28. जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा मध्यान्ह भोजन वितरण के कार्य के आकंलन की रिपोर्ट (मध्यान्ह भोजन के मीनू का पालन, भोजन की गुणवत्ता, मात्रा, भोजन की स्वच्छता निर्माण के समय शुद्वता इत्यादि) संतोषजनक प्राप्त होने पर संस्था के अनुबंध के नवीनीकरण की प्रक्रिया सम्पन्न की जावेगी। अनुबंध का नवीनीकरण एक बार में एक वर्ष के लिये किया जाएगा। रिपोर्ट असंतोषजनक प्राप्त होने पर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र इन्दौर रहेगा।

29. **संस्था के पास केन्द्रीयकृत किचिन अंतर्गत आवश्यक मशीनरी Standard Specification की होना चाहिये, जिसमें :–**
- आटा गूथने की मशीन, गेहूँ सफाई व आटा पीसने की मशीन की उपलब्धता ।
- बायलर क्षमता 1000 से 1500 लीटर होनी आवश्यक है।
- आटोमेटिक रोटी बनाने की मशीन जिसकी क्षमता कम से कम 10,000 रोटी प्रति घण्टा हो।
- 500 लीटर के कम से कम 3 प्रेशर कुकर स्थापित करने की क्षमता हो तथा संस्था के पास विद्यालयों में गर्म भोजन प्रदान करने हेतु हॉट कंटेनर की प्रर्याप्त व्यवस्था करने में भी सक्षम हो।

30. निर्धारित दिनांक को सायं 03.00 बजें उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नही होंगे। किसी भी प्रकार के विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रो के लिये इस कार्यालय की जिम्मेदारी नही होगी।

31. चयनित संस्था द्वारा श्रमिकों,कर्मचारियों पर लागु होने वाले सभी नियमों,अनुनियमों का पालन श्रम कानुन के अर्न्तगत करने का दायित्व संस्था का होगा।

32. चयनित संस्था को शासन द्वारा निर्धारित सभी प्रकार के वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगे जैसे–अग्निशमन यंत्र,स्वास्थ्य,विधुत आदि।

33. शासन द्वारा निर्धारित साप्ताहिक मीनु/मानक निम्नानुसार रहेगा, जो परिवर्तन होने पर संस्था को मान्य करना होगा–

सप्ताह का दिन	मीनू का विकल्प	पोषक मानक		लागत राशि
		कैलोरी	प्रोटीन	
सोमवार	वेजीटेबल (सब्जी वाला) पुलाव और पकौड़े वाली कढ़ी।	प्रा.वि. हेतु 450 ग्राम केलोरी तथा 14 ग्राम प्रोटीन तथा मा. वि. के लिये 700 ग्राम केलोरी एवं 20 ग्राम प्रोटीन		प्रा.वि. हेतु राशि रू. 4.16 एवं 100 ग्राम खाद्यान तथा मा. वि. के लिये राशि रू. 6.18 एवं 150 ग्राम खाद्यान प्रति छात्र, प्रति दिवस
मंगलवार	पूरी के साथ खीर/हलवा और छोले व मटर की सब्जी।			
बुधवार	जीरा राईज तथा मिक्स सब्जी एवं तुअर दाल			
गुरूवार	रोटी के साथ सोया चंग्स/मुंग या चना बडी एवं आलू की सब्जी तथा तुअर दाल।			
शुकवार	खिचडी (मूंग की दाल के साथ) तथा आलू मटर व टमाटर की सब्जी।			
शनिवार	रोटी तथा ग्रीन मिक्स सब्जी एवं मिक्स दाल।			

34. आवेदन पत्र प्रस्तुत करनें के पूर्व संस्थाओं को कार्यक्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एवं अन्य आवश्यक जानकारी से अवगत हो जाना चाहिए। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यलयीन समय में परियोजना अधिकारी जिला पंचायत इन्दौर से संपर्क किया जा सकता है अथवा मोबाईल न 9826068773 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

35. अन्य आवश्यक शर्ते एवं निर्देश

संस्था को इस कार्यालय द्वारा नियत तिथि पर निम्न बिन्दुओं पर उपस्थित होकर प्रस्तुतीकरण देना होगा –

1. संस्थागत सुद्रढ़ता।
2. पोषण आहार विशेषज्ञ की उपलब्धता, योग्यता, दक्षता।
3. भोजन में प्रयुक्त खाद्य मसालों की शुद्वता, स्वच्छता ।

4. वितरण की प्रक्रिया(परिवहन)।
5. अनुश्रवण की व्यवस्था।
6. खाद्य सामग्री यथा सब्जी आदि का प्रबंधन।
7. विभिन्न घटकों की पूर्ति करने के लिये स्त्रोत जैसे सब्जी, पानी, ईधन, स्टोर, चक्की, खाद्य सामग्री, विशेष भोज की व्यवस्था।
8. आर्थिक स्थिति – आवश्यकता पडने पर दो माह स्वयं के व्यय पर कार्यक्रम संचालन की व्यवस्था।
9. अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था।
10. कचरा प्रबंधन की व्यवस्था।
11. साफ पानी हेतु उपकरण की व्यवस्था।
12. कीडे मकोडो की रोकथाम की व्यवस्था।
13. परिवहन हेतु सुरक्षित कंटेनर की व्यवस्था।
14. आग की रोकथाम की व्यवस्था।
15. शौचालय की व्यवस्था।
16. बर्तन साफ करने एवं किचिन की साफ सफाई की उपयुक्त व्यवस्था।
17. कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था।
18. अन्य विवरण। उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य बिन्दु जो इस हेतु जरूरी हो पर आपके द्वारा प्रस्तुतीकरण तिथि को प्रस्तुत करना होगा, जिसकी एक प्रति भी प्रस्तुत करेंगें।
19. आवेदन प्रस्तुत करने के सामान्य निर्देश–
    - आवेदन में संलग्न समस्त दस्तावेजो का अनुक्रमांक किया जावें।
    - प्रत्येक प्रष्ट पर अधिकृत निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर किया जावे।
    - दस्तावेज को क्रमानुसार रखा जावे।
    - संलग्न दस्तावेज पठनीय हो।
    - दस्तावेज सुरक्षित फाईल कवर के साथ प्रस्तुत किये जावें।
    - आवश्यक सूचना देने हेतु मो.न.एवं ईमेल फेक्स न. का उल्लेख आवेदन पत्र में किये जावें।
    - निर्धारित आवेदन पत्र संलगन किया जावें
    - आवेदन पत्र का निर्धारित शुल्क की रसीद संलग्न की जावें।
    - निर्धारित **शर्तो की हस्ताक्षरित**(अधिकृत निविदाकार द्वारा) प्रति संलग्न की जावे।
    - बैंक खाते की पासबुक की प्रति संलग्न की जावे।
    - धरोहर राशि की का डी.डी/बैंकर्स चेक संलग्न किया जावें।
    - पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न की जावें।

समस्त आवेदित संस्थाओ को प्रस्तुतिकरण हेतु आमंत्रित किया जावेगा । संस्था को निविदा खोलने के समय पारदर्शिता की द्रष्टि से एवं प्रस्तुतिकरण के समय उपस्थित रहना चाहिए। संस्था से यह अपेक्षा की जाती है कि संस्था से वह अधिकृत निविदाकार या प्रतिनिधि उपस्थित रहे जो कियान्वयन हेतु आवश्यक सुझावों/मांगो पर पर निर्णय ले सके।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत,इन्दौर
जिला –इन्दौर (म0प्र0)

इन्दौर नगर निगम एवं नगर पंचायत राउ तथा महु क्षेत्रान्तर्गत शालाओं में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालन हेतु अशासकीय स्वयं सेवी संस्था/ समितियों /समूहो के चयन हेतु

एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट हेतु आवेदन–पत्र

1. संस्था/समूह/समिति का नाम – ....

2. पता (दूरभाष क्रमांक, ई–मेल आईडी सहित) – ....

....

3. अध्यक्ष का नाम/पता/दूरभाष कमांक – ....

....

4. संस्था के कार्यकारिणी की जानकारी – संलग्न है।

5. संस्था/समूह/समिति के गठन का वर्ष एवं दिनांक – ....

6. संस्था/समूह/समिति का पंजीयन कमांक/दिनांक – ....
   (छायाप्रति संलग्न)

7. संस्था क्रियाशीलता का स्वप्रमाणित प्रमाणपत्र – संलग्न है।

8.संस्थाओं की शार्ट लिस्टिंग हेतु आवश्यक जानकारी का प्रस्तुतीकरण

क	शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड	आवश्यक टीप	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावित वर्ष 2017–18 के पूर्व पांच वर्षो की आडिट रिर्पोट की जानकारी।	वित्तीय वर्ष .... से वित्तीय वर्ष .... तक की ऑडिट रिर्पोट की छायाप्रति संलग्न है।	पृष्ठ कमांक ...... से .... तक
2	संस्था को 5000 लोगों हेतु भोजन पकाने एवं वितरण करनें की कम से कम 03 वर्ष के अनुभव की जानकारी।	प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है।	पृष्ठ कमांक ...... से .... तक
3	दो से अधिक राज्यों में निर्धारित कार्य अनुभव की जानकारी।	निम्न राज्यों :– 1. 2. 3. में किया गया कार्यो का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है।	पृष्ठ कमांक ...... से .... तक
4	पर्याप्त मात्रा तथा पर्याप्त क्षमता की आवश्य मशीनरी की उपलब्धता जो standard specification की हो की जानकारी। मशीनों की पर्याप्त self life हो तथा 05 वर्षो से ज्यादा पुरानी न हो (जैसे–आटोमेटिक रोटी मेकिंग मशीन, बायलर, बर्तन साफ करने की मशीन, अनाज सफाई, आर.ओ प्लांट, पैकेजिंग, आदि के लिये प्रमाणित मशीनें व पर्याप्त संसाधन)	आवश्यक standard specification एवं पर्याप्त self life संसाधनों की सूची संलग्न है। उपलब्ध संसाधन 05 वर्ष से अधिक पुराने नही होने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न है।	पृष्ठ कमांक ...... से .... तक

5	संस्था के पास मशीनरी स्थापित करने के लिये अधोसंरचना जैसे जमीन, भवन, शेड, आदि की उपलब्धता की जानकारी।	संस्था के पास मशीनरी स्थापित करने के लिये अधोसंरचना जैसे जमीन, भवन, शेड की जानकारी निम्नानुसार है:– 1. जमीन(स्वयं/किराये) संबंधी जानकारी एवं दस्तावेज संलग्न है। 2. भवन/शेड (स्वयं/किराये) संबंधी जानकारी एवं दस्तावेज संलग्न है।	पृष्ठ कमांक ...... से .... तक पृष्ठ कमांक .... से .... तक
6	पोषण विशेषज्ञ की उपलब्धता की जानकारी।	पोषण विशेषज्ञ की जानकारी संलग्न है।	पृष्ठ कमांक .. .... से .... तक
7	संस्था के न्युनतम रू 50 लाख एवं उससे अधिक टर्नओवर की जानकारी। अ–50 लाख से 03 करोड ब–03 करोड से अधिक होने पर	संस्था का वित्तीय वर्ष ....में राशि रू 50.00 लाख से अधिक का तथा वित्तीय वर्ष .... में राशि रू 3.00 करोड से अधिक का टर्नओवर रहा है। ऑडिट रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न है।	पृष्ठ कमांक ...... से .... तक
8	भोजन के स्वास्थ्यकर (Hygenic) परिवहन हेतु संस्था के स्वयं के वाहन उपलब्धता की जानकारी।	भोजन के स्वास्थ्यकर (Hygenic) परिवहन हेतु वाहनों की जानकारी/टीप संलग्न है।	पृष्ठ कमांक ......से .... तक
9	प्राथमिक उपचार व सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी।	प्राथमिक उपचार व सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी/टीप संलग्न है।	पृष्ठ कमांक ...... से .... तक
10	अपशिष्ट प्रबंधन की आधुनिक व्यवस्था संबंधी जानकारी ।	अपशिष्ट प्रबंधन की आधुनिक व्यवस्था की जानकारी/टीप संलग्न है।	पृष्ठ कमांक ......से .... तक

घोषणा

प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे/हमारे द्वारा आवेदन पत्र मे दी गई संपूर्ण जानकारी सत्य है। यदि कोई जानकारी मिथ्या/असत्य पाई जाती है तो मेरे/हमारे आवेदन पत्र को निरस्त कर धरोहर राशि राजसात कर ली जावे। इसके लिये मेरा/हमारा कोई स्वत्व नही रहेगा। मेरे/हमारे द्वारा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालन संबंधी नियमों/शर्तो का भलीभांति परीक्षण/समझ लिया गया है। शासन द्वारा निर्धारित मीनू एवं शर्तो के अनुरूप कार्य संपादित करने की घोषणा करता हूँ।

हस्ताक्षर
नाम
संस्था अध्यक्ष/प्रबंधक/संचालक
(सील सहित)